न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आरा
पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 24/2011

वादी :–

1 आसुदान पुत्र हरिदान
जाति चारण निवासी मथानिया
तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

प्रतिवादीगण :–

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिवंरी ,
तहसील तिवंरी ।

उपस्थिति –

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी की ओर से ।
2 प्रतिवादीगण की ओर से सरकारी पेरोकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. व धारा 136 आर.एल. आर.एक्ट.

– निर्णय – दिंनाक –09.12.2020

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मथानिया मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा , खसरा नम्बर 829 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा कुल रकबा 14 बीघा 17 बीस्वा स्थित है जिसे दावे मे वादग्रस्त भूमि कहकर सम्बोधित किया जावेगा । ग्राम मथानिया जागीर के अधिन था एवं गांव के जागीरदार गांव मथानिया के चारण एवं उम्मेद नगर के भोमिया थे । वादग्रस्त भूमि जागीर के वक्त से ही वादी के पिता स्व. हरिदान के कब्जा काश्त मे थी एवं स्व. हरिदान इस भूमि के टेनेन्ट थे व इसका लगान जागीरदारान को दिया जाता था उपरोक्त भूमि कभी भी जागीरदारान की खुद काश्त की नही रही बल्कि वादी व उसके पिता इस पर बतौर टेनेन्ट के वक्त जागीर काबिज थे व वर्तमान मे वादी इस पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है । वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे भी कही पर जागीरदारान की खुद काश्त की दर्ज नही है । वादी व उसके पिता उपरोक्त भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु होने के समय स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एंव जागीर जब्त होने से जागीरदारान के तमाम अधिकार इस भूमि मे समाप्त हो गये व जागीरदारान द्वारा उसका मुआवजा प्राप्त कर लिया गया । वक्त जागीर जागीरदारान द्वारा उपरोक्त भूमि को लगान वादी से जरिये मांग पत्र के वसूल किया जाता था इस प्रकार वादी इस भूमि का एडमिटेड टिनेन्ट हो गया एंव उसे एक खातेदार के तमाम अधिकार प्राप्त हो गये । वादी एवं उसके पिता अनपढ व ग्रामीण काश्तकार थे जिन्हे कानून की कोई जानकारी नही थी एंव न राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजो के बारे मे कोई ज्ञात था । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जब खतौनी बन्दोबस्त तैयार की गई उस वक्त वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु उसमे मकबुजा खुद दर्ज कर दिया गया । जागीरदारो का इस पर कोई कब्जा नही था व उनके तमाम अधिकार जागीर जब्ती

Scanned with CamScanner

कानून के तहत समाप्त हो चुके थे व उनके द्वारा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया । इस कारण इस भूमि का एक मात्र टिनेन्ट वादी ही है जिसका नाम राजस्व रेकर्ड मे त्रुटीवंश दर्ज करना रह गया । वादी को इस बारे मे उसे जानकारी होने पर जागीर के वारिसो से बात भी की व रेकर्ड दरूस्त करवाने की प्रार्थना की परन्तु वे यह कहते रहे कि उनकी तो जागीरे जब्त हो चुकी है उनका अब इस भूमि से कोई लेना देना ही नही है इस कारण वादी चाहे तो राज्य सरकार से इसकी मांग कर सकता है इसमे जागीरदारान को कोई ऐतराज नही होगा । विवादग्रस्त भूमि पर वादी एवं उसके स्व. पिता का पिछले 80 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध रूप से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जो जगजाहिर है । राज्य सरकार अथवा पूर्व जागीरदारान द्वारा वादी के कब्जा काश्त मेकभी कोई दखल अन्दाजी नही की गई है । वादी का मुखालपाना कब्जा भी इस भूमि पर पुख्ता हो चुका है एवं वादी इसका खातेदार बन चुका है । वादी ने राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने हेतु राज्य सरकार (जिला कलेक्टर जोधपुर) को एक नोटिस भी दिंनाक 4.8.2010 को दिया परन्तु उक्त नोटिस का आज दिन तक कोई जबाब वादी को प्राप्त नही हुआ एंव न राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती की कोई कार्यवाही की गई । इस कारण वादी के पास अब माननीय न्यायालय मे यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है । बिनाय दावा वक्त बन्दोबस्त राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज होने एवं वादी द्वारा राज्य सरकार को जरिये जिला कलेक्टर जोधपुर को नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही करने से बमुकाम मथानिया मे दिंनाक 4.10.2010 को नाटिस की मियाद निकलने पर पैदा हुआ ।

वादी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरीये समन तलब किया गया प्रतिवादी के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये । प्रतिवादी की तरफ से सरकारी पेरोकार उपस्थित हुए और जबाब दावा पेश किया जो सामिल मिसल किया गया तथा तनकीयात कायम की जाकर वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर सामिल मिसल की गई दोनो पक्षो की साक्ष्य समाप्त होने पर पत्रावली बहस मे रखी गई ।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया । तनकीवार हमारा विनिश्चय निम्न प्रकार से किया जा रहा है ।

तनकी नम्बर 1 – आया वाग्रस्त आराजीयात वादी अपने नाम से खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य मे वादग्रस्त भूमि की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श –1 व प्रदर्श –2, धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्रदर्श –3 ,प्राप्ति स्वीकृत रसीद प्रदर्श–5 नामान्तकरण संख्या 589 की प्रमाणित नकल प्रदर्श–6 ,जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 प्रदर्श–7 , जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2036 से 2039 प्रदर्श–8 ,सम्वत् 2041 से 2044 प्रदर्श–9 , सम्वत 2036 से 2039 की जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–10 , खसरा गिरदावरी की सम्वत् 2036 से प्रदर्श–11 से प्रदर्श –12 जो वादी के नाम से दर्ज है

Scanned with CamScanner

, गिरदारी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श–13 व 14 , गिरदावरी सम्वत् 2016 प्रदर्श–15 व 16 है जिसमे काश्त वादी के पिता के नाम से दर्ज है , गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 प्रदर्श –17 व 18 है जिसमे काश्त वादी के नाम से दर्ज है , गिरदावरी सम्वत् 2036 से 2038 प्रदर्श –19 व 20 है वादी के नाम से दर्ज है तथा रायडा मिर्ची ,ग्वार वगैरा दो फसली दर्ज है , गिरदावरी सम्वत् 2041 से 2044 प्रदर्श–21 व 22 है , गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2048 प्रदर्श–23 व 24 है , गिरदावरी सम्वत् 2020 से 2023 प्रदर्श–25 व 26 है ,गिरदावरी सम्वत् 2024से 2027 प्रदर्श– 27 व 28 है , गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 प्रदर्श –29 व 30 है , गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 प्रदर्श–31 व 32 है जिसमे नामान्तकरण संख्या 589 जो प्रदर्श– 6 है जिसका वादी के नाम से अमलदरामद किया हुआ है , प्रदर्श – 32 व 33 से यह साबित है कि नामान्तकरण सख्या 589 जो वादी के नाम से दर्ज व स्वीकार हुआ था उसका अमलदरामद गिरदावरी मे तो कर दिया गया लेकिन तत्कालीन जमाबन्दी मे किसी कारण वंस अमलदरामद होने से रह गया था । वादी के अधिवक्ता ने भी अपनी बहस मे प्रदर्श–6 व प्रदर्श– 32 व 33 पर विशेष जोर देते हुए व प्रकाश डालते हुए बताया गया कि तत्कालीन पटवारी की भूल व गलती से जमाबन्दी मे नामान्तकरण संख्या 589 का अमल दरादम नही होने के कारण वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नही हुई जब कि वादी इसी विश्वास मे था कि गिरदावरी के अनुसार जमाबन्दी मे भी उसके नाम का अमल दरामद अवश्य होगा किन्तु सन् 2010 वादी को खातेदारी मे नाम दर्ज नही होने की जानकारी होने पर यह दावा पेश किया गया था । वादी के अन्य गवाहन पी डब्ल्यू –2 आवडदान, पी.डब्ल्यू–3 बजरंगसिंह ने भी मोखिक साक्ष्य मे मुख्य परिक्षण मे व जिरह मे वादी के वाद पत्र तथा उसकी मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया प्रतिवादी का गवाह डी डब्ल्यू– 1 हल्का पटवारी ओमप्रकाश ने अपनी जिरह मे यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि नामान्तकरण संख्या 589 प्रदर्श– 6 के अनुसार उक्त भूमि कॉलम संख्या 11 के अनुसार आसुदान पुत्र श्री हरिदान जाति चारण साकिन देह दर्ज है तथा यह नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया हुआ है । यह बात सही है कि उक्त भूमि वर्तमान मे सरकारी खाते मे दर्ज नही है । यह बात सही है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर सरकार का कब्जा काश्त दर्ज नही है इस प्रकार से सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से यह तनकी वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है ।

तनकी संख्या –2 आया वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । चूकि तनकी सख्या 1 वादी के पक्ष मे निर्णित की जा चुकी है इसलिए उक्त साक्ष्य के परिपेक्ष मे यह तनकी भी वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 – आया वादग्रस्त आराजीयात मे वादी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे था । प्रतिवादी न ऐसी कोई दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य पेश नही की है जिससे यह तनकी साबित

Scanned with CamScanner

होती हो । इसके विपरित प्रतिवादी के गवाह डी.डब्ल्यू– 1 ओमप्रकाश ने अपनी जिरह मे यह स्वीकार किया है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर सरकार का कोई कब्जा काश्त दर्ज नही है इसके अलावा जब तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष मे तय की जा चुकी है इसलिए यह तनकी प्रतिवादी साबित नही कर पाये है । अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

उक्त प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का विवेचन व विश्लेषण करते हुए तनकीवार हमारा निष्कर्ष है कि वादी अपने जुमे की तनकी संख्या 1 व 2 को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित व साबित किया है तथा प्रतिवादी अपने जुमे की तनकी संख्या 3 साबित व प्रमाणित नही कर पाये है इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मथानिया के कृषि भूमि खसरा नम्बर 824 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा , खसरा नम्बर 829 रकबा 4 बीघा 7 बीस्वा कुल रकबा 14 बीघा 17 बीस्वा भूमि का वादी को नामान्तकरण संख्या 589 के आधार व पुरानी खसरा गिरदावरीया के कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है एवं स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 589 के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे, उक्त भूमि का लगान या सरकारी राशि यदि कोई बकाया है तो वादी से वसूल की जावे । तदनुसार डिकी पर्चा जारी किया जावे । तहसीलदार तिवंरी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी की जावे । खर्चा दावा पक्षकार अपना अपना वहन करे । पत्रावली बाद आवश्यकता दाखिल दप्तर की जावे ।

सहायक कलक्टर, ओसिया

निर्णय आज दिंनाक 9.12.2020 . को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर ,ओसियां

Scanned with CamScanner